भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1907

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब

1907. प्रो. सौगत राय:

श्री किशोरी लाल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत परिकल्पित नदियों को जोड़ने वाली विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुचित विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) कार्यान्वयन के अधीन, मूल्यांकन के अधीन और योजना के स्तर पर नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं का उनकी वर्तमान स्थिति, अनुमानित लागत और पूरी होने की अपेक्षित तिथि सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिंचाई क्षमता, पेयजल उपलब्धता, बाढ़ नियंत्रण, सूखा उपशमन और क्षेत्रीय जल सुरक्षा पर ऐसे विलंब के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संबंधित राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से लंबित नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कोई समय-बद्ध तंत्र विकसित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, समय पर स्वीकृतियां सुनिश्चित करने, अंतर-राज्यीय मुद्दों को हल करने तथा न्यायसंगत एवं संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): नदियों को जोड़ने वाली (आईएलआर) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जल बंटवारे, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, पर्यावरणीय और सांविधिक मंजूरी और अन्य स्थानीय मुद्दों से संबंधित विषयों पर संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होती है। चूंकि इस प्रकार की आम सहमति बनने की प्रक्रिया में कई हितधारकों के बीच परामर्श शामिल होता है, अतः इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समय लगता है।

(ख): वर्तमान में, केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के अंतर्गत कार्य शुरू हो गया है, जिसे वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। एनपीपी के अंतर्गत चिन्हित सभी 30 आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) से (ङ): आईएलआर परियोजनाओं की आयोजना के सम्बन्ध में संबंधित राज्यों के साथ गहन परामर्श करके उसके अध्ययन के प्रत्येक चरण पर उसमें सुधर किए जाते हैं जिसमें पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शामिल है। किसी भी आईएलआर परियोजना के कार्यान्वयन चरण तक पहुंचने के लिए पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति बनाना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। भारत सरकार इस आईएलआर कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परामर्शी तरीके से आगे बढ़ा रही है।

आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के बीच आवश्यक सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर ठोस प्रयास किए गए हैं। आईएलआर कार्यक्रम की सुविधा और निगरानी के लिए सितंबर 2014 में " नदियों को जोड़ने सम्बन्धी विशेष समिति" का गठन किया गया था; राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ अब तक समिति की 25 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके साथ-साथ, आईएलआर से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए अप्रैल 2015 में "नदियों को जोड़ने के लिए कार्यबल" का गठन किया गया था; इस कार्यबल की अब तक 22 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

इसके साथ-साथ, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की वार्षिक सामान्य बैठकें (एजीएम), इसके शासी निकाय की बैठकें और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर आयोजित विभिन्न वार्ता बैठकें राज्यों को जल बंटवारे, तकनीकी पैरामीटरों, परियोजना लाभों, लागत शेयरिंग की व्यवस्था और कार्यान्वयन संबंधी अन्य विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए सुव्यवस्थित मंच प्रदान करती हैं।

आईएलआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन वास्तविक रूप से पक्षकार राज्यों द्वारा जल बंटवारे और अन्य परियोजना संबंधी विषयों पर आम सहमति तक पहुंचने पर निर्भर करता है। सरकार लंबित आईएलआर परियोजनाओं में तेजी लाने और देश भर में साम्यिक और स्थाई जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन संस्थागत तंत्रों के माध्यम से राज्यों और हितधारकों के साथ सहभागिता जारी रखे हुए है।

अनुलग्नक

"नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब" के संबंध में दिनांक 30.07.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 1907 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति:

<u>प्रायद्वीपीय घटक</u>

क्र. संख्या	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1.	महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
	वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
2.	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक @	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
3.	क.) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
	ख.) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4.	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंतला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
5.	क.) कृष्णा (नागार्जुन सागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
	ख.) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6.	कृष्णा (श्रीशैलम) – पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
7.	कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार लिंक	कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
8	क.) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण

	ख.) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (मणिमुक्त) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी	डीपीआर पूर्ण
9	कावेरी (कट्टालाई) - वैगई-गुंडर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्वती - कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्यप्रदेश और राजस्थान	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
	ख) संशोधित पार्वती - कालीसिंध-चंबल लिंक	मध्यप्रदेश और राजस्थान	दोनों राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए एमओए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
11	दमनगंगा - पिंजाल लिंक	महाराष्ट्र (केवल मुंबई को जल आपूर्ति)	डीपीआर पूरी हो गई है और "प्राथमिकता लिंक" की स्थिति से हटा दिया गया है
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूरी हो गई है और "प्राथमिकता लिंक" की स्थिति से हटा दिया गया है
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूरी हो गई है और परियोजना कार्यान्वयनाधीन है
14	पंबा - अचंकोविल - वाइपर लिंक	तमिलनाडु और केरल	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक@@	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रावती - हेमवती लिंक***	कर्नाटक	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण

* गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को डायवर्ट करने के लिए परियोजना के चरण-I में मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं, जिन्हें संयुक्त रूप से गोदावरी-कावेरी लिंक कहा जाता है, की डीपीआर का कार्य पूरा किया गया था। कावेरी बेसिन के समीपवर्ती वेल्लर नदी की सहायक मणिमुक्तानदी पर लिंक नहर को समाप्त कर इसके रिपोर्ट को अपडेट किया गया है।

@@ बेडती-वरदा लिंक-डीपीआर को पीएफआर के बाद तुरंत तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसे पोलावरम परियोजना प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

** नेत्रावती - हेमवती लिंक: पीएफआर की तैयारी के बाद आगे का अध्ययन नहीं किया गया क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा येट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से डायवर्जन के लिए नेत्रावती बेसिन में अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है।

हिमालयी घटक

क्रम संख्या	नाम	लाभान्वित राज्य/देश	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक **	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
3.	गंडक-गंगा लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
4.	घाघरा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
9.		बिहार और झारखंड	प्रस्ताव एफआर पूर्ण

	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ		
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तीस्ता -फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर रिपोर्ट पूर्ण (प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पूर्ण हुआ	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) -दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण
